न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 213/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/396
दायर दिनांक :– 29.07.2025 निर्णय दिनांक :– 24.03.2026

01. अशोक कुमार पुत्र पुरबाराम जाति जाट नि. चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. निम्बाराम पुत्र पुरबाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. मूलाराम पुत्र पुरबाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

01. गोपी पत्नी रामूराम जाति मेघवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. देवाराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. सोनाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
04. दुर्गाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी देणोक तहसील लोहावट जिला फलोदी
05. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी देणोक तहसील लोहावट जिला फलोदी
06. अमानी पुत्री पीथाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
07. गंगाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
08. पूरादेवी पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
09. फूसाराम पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
10. बीरबलराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
11. भरतसिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
12. भागीरथसिंह पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
13. रेणु पत्नी ईशाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
14. विकास पुत्र ईशाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
15. सुरभी पुत्री ईशाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
16. लिछुराम पुत्र मेगाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
17. मोहनी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
18. घमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी
19. नाबालिग भंवरी पुत्री चुतराराम सरंक्षक सरपस्त माता मीरा पत्नी चुतराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
20. मगी पुत्री चुतराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
21. मीरा पत्नी चुतराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
22. रामनारायण पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
23. हरलाल पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
24. मोहनराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
25. फुसाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
26. इसाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
27. सुरजाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
28. आसूराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
29. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपस्थित :—

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली की सरहद में स्थित है। जमाबंदी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 09.01.2024 को जारी आदेश क्रमांक संख्या 304 की पालना में दिनांक 22.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द सीमाज्ञान तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्ह कायम किये गये। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिप संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 22.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टिया रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ोसी खातेदारान व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फस्ल, घास पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 22.05.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 ता 28 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की और से अधिवक्ता श्री विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जवाब में बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 569/414 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम अवश्य दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा के तथ्य गलत एवं मनगढंत है। प्रार्थीगण का चिमाणा सरहद में स्थित पड़ोसी खातेदारों व उतरदाता के साथ वादग्रस्त खसरान की सीमा व कब्जा का विवाद चल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वक्त पैमाईश किन—किन पड़ोसी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाईश की गई इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। फर्द पैमाईश में पैमाईश का विवरण निशानात एवं वादग्रस्त खसरा की सीमा का माठ का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे फर्द में पैमाईश किये गये खसरा का माप का विवरण एवं माप का उल्लेख नहीं हो उसमें खेत का माप किस दिशा में सही और

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किस दिशा पड़ोस में विवाद है यह स्पष्ट नहीं होने से ऐसी फर्द पैमाईश को अपूर्ण ही कहा जा सकता है ऐसी फर्द पैमाईश के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में सही नहीं है। ग्राम चिमाणा में अधिकतर खसरा की तरमीम व कब्जा में भिन्नता है। इस लिहाज से हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 569/414, 570/414, 415/4 की फर्द पैमाईश संदेह से युक्त है। ग्राम चिमाणा की दूसरे खसरों में की गई पैमाईश की फर्दो में कब्जे व रिकॉर्ड में भिन्नता है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचरियों से मिलीभगत कर बदायानितपूर्वक ही निमय विरूद्व तैयार की गई फर्द पैमाईश के आधार पर पत्थरगढी का आवेदन किया गया है। इन खसरा खसरान् में वर्णित वादग्रस्त भूमि माप सही है या नहीं यह स्पष्ट हुए बिना अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण के खेत सीमा विवाद पर टिप्पणी किया जाना गलत है। ग्राम चिमाणा के वादग्रस्त खसरा एवं उसके आस–पास के खसरान् की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है इससे मूल स्थिति कोर्ट के सामने आने से कोर्ट द्वारा शुद्व निर्णय किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्व तैयार फर्द पैमाईश पर पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश करावें।अप्रार्थी संख्या 29 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 22.05.2025 के अनुसार प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 22.05.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि मौजा सरहद चिमाणा की विधि विरूद्व तैयार फर्द के आधार पर पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण ने भी बहस में कथन किया कि इन खसरान् में वर्णित वाद्रगस्त भूमि का माप सही है या नहीं स्पष्ट हुए बिना पत्थगरगढी किया जाना उचित नहीं है। इसलिए वादग्रस्त भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 569/414 रकबा 9.5505 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570/414 रकबा 7.8509 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 415/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)